



संख्या : — /जी०एस०(शिक्षा)/ A3-52(7)/2022

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक 23 दिसम्बर, 2022

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 640 दिनांक 12.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वचौड़, नैनीताल को एम०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2022-23 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वचौड़, नैनीताल।	एम०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी)	40 सीट (प्रति विषय)	2022-23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के भीतर उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने के 02 माह के भीतर अपूर्ण मानकों को U.G.C विनियम/नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा तथा जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन/उच्च शिक्षा विभाग से कार्रवाई अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र संख्या: 2131 दिनांक 07 सितम्बर 2022 के क्रम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन से निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।  
तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3539 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/ A3-52(7)/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वचौड़, नैनीताल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन०के० पोखरियाल)  
कुलाधिपति के उपसचिव